न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 518 सन 2018
अनवान :–

1. सुनील कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. साजन पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर
2. हरदेवाराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
3. सन्दीप कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर
4. बलवानसिह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 30.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा लाखासर के खाता संख्या 331/283 के खसरा न0 10 की 5.3620हैक , खसरा न0 13/3. 5920हैक , खसरा न0 28/0.038हैक कुल 8.9920हैक भूमि इसीप्रकार रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 334/323 के खसरा न0 251 की 5.1340हैक खसरा न0 455/1 की 3.5790 कुल 8.7130हैक भूमि वादी के दादा साजन पुत्र भैराराम जाति जोट के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के पडदादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के उपरान्त विरास्तन से वादी के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के पडदादा ने वाद भूमि का परिवारिक बटवारा किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बटवारा किया जाकर भूमि अलग अलग दी जा चुकी है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के उपरान्त वादी के दादा के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य परिवारिक समझौता आपसी सहमति से किया जा चुका है जिसके अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 331/283 की कल 8.9920हैक एवं रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 334/323 की कुल 8.7130हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब प्राप्त हुई है परिवारिक समझौता के अनुसार रजास्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है परिवारिक समझौता के कथनों को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा/राजीनामा पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिकार की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है । वादी का कथन है कि वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य बाहमी बटवारा हुआ है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादो एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति व साक्ष्यों के अनुसार वादी का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 331/283 की कल 8.9920हैक एवं रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 334/323 की कुल 8.7130हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है के स्थान पर वादी ब प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official